

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-सीतापुर की 13 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4400/10/छ.विविध/2017-18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-सीतापुर की न0पा0परि, बिसवां, खैराबाद व सीतापुर तथा न0पं0, मिथिला, महोली, तम्बौर, हरगांव व सिंधौली की विभिन्न अल्पविकसित बस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 13 परियोजनाओं हेतु ₹0 315.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 157.62 (रूपये एक करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय जिम्मेदारियाँ शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पर्याप्त अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 से वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रीतार्पण/प्राप्ति न दाता, क्रमसंख्या:.....2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/मुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का बाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-1006/दस-2018, दिनांक 22 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

अवधीय,
२५/३/१९
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-125/2018/295(1)/69-1-18, तद्विनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
 2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
 3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
 4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मत्तन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
 5. जिलाधिकारी/आध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, सीतापुर।
 6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र०/शासन।
 7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
 8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
 10. सहायक वेब मास्टर, संडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
 11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द बहुमचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-/२५/2018/295(1)/69-1-18-10(मु030-37)/2018, दिनांक २ ने मार्च, 2018

का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० मे०)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	सीतापुर	न0पं०, मिश्रिख	वार्ड नं0-10 के अन्तर्गत मो० उत्तरी वार्ड में देवी प्रसाद के घर से देवीपुर होते हुये रामसेवक के घर तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	37.86	18.93
2	तदैव	न0पा०परि०, बिस्वां	वार्ड नं0-10 के अन्तर्गत दायरा प्रथम से नायब के घर से अमीन के घर तक, अमीन के घर से गुड़ू के घर तक आर०सी०सी० सड़क व गहरी नाली का निर्माण कार्य।	18.50	9.25
3	तदैव	न0पं०, महोली	वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मास्टर कालोनी पूर्व में प्राथमिक विद्यालय से अटौरी सम्पर्क भाग तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	11.90	5.95
4	तदैव	न0पा०परि०, खैराबाद	वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मो० कजियारा में मंगली के घर से अखाडे की मजार पार्टे में इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	23.39	11.695
5	तदैव	न0पा०परि०, खैराबाद	वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मो० कजियारा में जहीर के घर से फूटी के घर तक, शगीर की दुकान से मच्छन साहित बाजार दरगाह तक, ताहिर के मकान से जुबेर असलम के मकान तक, मंगली के घर से अखाडे की मजार तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	20.62	10.31
6	तदैव	न0पं०, तम्बौर	वार्ड नं0-1 के अन्तर्गत मो० संगत टोला में केपी०एस० डिग्री कालेज के सामने प्रतीक्षालय के आगे नाली निर्माण कार्य।	23.54	11.77
7	तदैव	न0पं०, हरगांव	वार्ड नं0-9 के अन्तर्गत मो० काजी टोला में सीतापुर एल०एम०पी० रोड से पिथौरा देवी मंदिर वाया मस्जिद दोनों साइट तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	23.92	11.96
8	तदैव	न0पा०परि०, सीतापुर	वार्ड नं0-20 के अन्तर्गत मो० सिविल लाइन में डा० अमिताब सिंह क्लीनिक से राम बिहारी के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	32.37	16.185
9	तदैव	न0पं०, हरगांव	वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मो० तीर्थ वार्ड में श्रीकृष्ण द्वार से राजू मिश्रा के मकान तक आर०सी०सी० व गहरे नाले का निर्माण कार्य।	11.92	5.96
10	तदैव	न0पा०परि०, सीतापुर	वार्ड नं0-11 के अन्तर्गत मो० पंचवती कालोनी में गोदलाल के घर से बाउन्ड्री वाल तक इंटरलाकिंग	39.12	19.56

			निर्माण कार्य।		
11	तदैव	न0पं0, मिश्रिख	वार्ड नं0-12 के अन्तर्गत ललिता देवी मन्दिर के उत्तरी गेट से मूलचन्द्र महतिया उच्च माध्यमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग सइक व नाली का निर्माण कार्य।	17.42	8.71
12	तदैव	न0पं0,, सिंधौली	नो0 संत नगर में महमूदाबाद रोड हनुमान मंदिर से नहर पटरी पर गुड़ु गुप्ता के घर होते हुये कल्लू मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग सइक व नाली का निर्माण कार्य।	19.97	9.985
13	तदैव	न0पं0, मिश्रिख	वार्ड नं0-12 के अन्तर्गत राजघाट से कालीपीठ तक पुलिस चौकी होते हुये दहिनी पटरी पर इण्टरलाकिंग सइक का निर्माण कार्य।	34.71	17.355
योग				315.24	157.62

(रूपये एक करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।